COURT FEE कोर्ट फ़ीस भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

255

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालीयर (म0 प्र0) केम्प जबलपुर

निगरानी प्र0 क्र0 - 925-2/2014-15 Regd 9266 /16

उमकान्त नगरिया विरुद्ध म0 प्र0 शासन

आवेदन पत्र वास्ते निगरानी को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

1- यह कि आवेदक द्वारा माननीय महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जो विचरण मे हो रिकार्ड हेतु नियत थी एवं उक्त प्रकरण दि0 27/4/2016 को माननीय महोदय के समक्ष नियत था जो कि अनुपस्थिति मे खारिज किया गया ।

2- यह कि, आवेदक के अधिवक्ता श्रीरामअवेरी जो कि कटनी से आते है उक्त प्रकरण मे ट्रेन विलंब होने से कोर्ट समय पर नही पहुच सके पहुचने पर बताया कि प्रकरण हो गया है देख लेना बाद मे प्रकरण देखने पर नही मिल सका ।

3- यह कि, आवेदक प्रकरण की जानकारी निरंतर प्राप्त करता रहा किन्तु उसे प्रकरण की जानकारी दिनांक 3/11/16 को हुई कि उक्त प्रकरण अनुपस्थिति मे खारिज कर दिया गया जिसकी कि सत्यप्रतिलिपि दिनांक 4/11/16 को प्राप्त हुई एवं बोर्ड की सिटिंग आज दिनांक 23/11/16 होने से उक्त आवेदन पत्र प्रकरण मे पुनः लिये जाने का प्रस्तुत है ।

4- यह कि, आवेदक अधिवक्ता निरंतर पेशी पर उपस्थित होते रहे है एवं आवेदक प्रकरण मे हित रखता है और उसे उक्त प्रकरण मे विजय होने की संभावना है उक्त प्रकरण अगर नम्बर पर नही लिया जाता है तो उसे आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, एवं आवेदन पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र संलग्न है ।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि न्यायहित मे प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने की कृपा करे ।

जबलपुर

दिनांक- 23/11/16

अधिवक्ता वास्ते आवेदक

COMMISSIONER

23/11/16

रेस्टो० 9266. ए/16

24/1/17

आवेदक के अधि० श्री राम कुमार उप० उनके रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। आवेदक अधि० द्वारा बताये गये कारण समाधान कारक होने से पुनर्स्थापन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण नि० 925-II/14 पुनर्स्थापित किया जाता है। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।